

रिपोर्ट परवारी हक्क / आईएलएआर
 आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार डोग अभिजाति की जमाबन्दी संवत् 2015-2016 के
 खता नं. 52 में पतासी का नाम पतासी पति सुगाराम दर्ज है जो कि गलत है। पतासी का नाम
 दस्तावेज आधार कार्ड, गजानकर्ड, मलदादा पहचान पत्र आदि की दृष्टिगत में पतासी का नाम
 पतासी पति सुगाराम है जो कि सही नाम है। अतः उक्त खता नं. में पतासी का नाम
 पतासी पति सुगाराम की जगह पतासी पति सुगाराम दर्ज करना उचित है।

गावों के संग अभियान 2021
 कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी

क्रमांक : राजस्व/2020/

दिनांक -

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अभिराशा की जाती है /नहीं की जाती है।

उक्त किमा जाना उचित है।

09/11/2021

तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला हुंमुनू (राज.)

- आदेश -

दिनांक :- 9-11-2021

1103
9-11-21

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, सत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी संवत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	ढाणी महाराज	2015-16	52	पतासी पती सुरा	पतासी पती सुराराम

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

राजस्व/2020/ 889-890

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक :- 9-11-21

1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीया

को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी